

*राजभवन भोपाल*  
*राजभवन भोपाल*

राज्यपाल के सचिव  
क्र. एफ-17-46/रा.स./यू.ए.1/05/1029  
प्रति,

राजभवन भोपाल - 462 052  
दिनांक 26 जून 2018

कुलपति,  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (4) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा प्रो० रविन्द्र कुमार यादव, आचार्य, शारीरिक शिक्षण विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को दो वर्ष की कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर के आदेशानुसार

सही/-  
राज्यपाल के सचिव  
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



जबलपुर दिनांक 28/6/18

10/3/18  
8/6/18

पू० क्रमांक/अका./2018/309  
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

1. प्रो० रविन्द्र कुमार यादव, आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
2. राज्यपाल के उप सचिव, मध्यप्रदेश राज भवन भोपाल 462 052
3. समस्त संकायाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/महाविद्यालयीयन विकास परिषद, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

*जा (P)*  
(डॉ० बी० भारती)  
कुलसचिव  
*27/6/18*